रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2016/माघ 28, 1937
No. 435] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2016/MAGHA 28, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

का.आ. 513(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2570(अ), तारीख 14.11.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 88.000 कि.मी. से 238.000 कि.मी. (उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा–औरंग सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा–औरंग सेक्शन के 88.000 कि.मी. से 239.000 कि.मी. तक (डिजाइन/चैनेज 88.000 कि.मी. से 238.335 कि.मी. है) जिसका जमीन पर समापन बिन्दु नहीं है जो रायपुर–औरंग सेक्शन को 4 लेन का बनाने की उत्तरवर्ती परियोजना का प्रारंभिक बिन्दु है, हालांकि उसकी अलग चैनेज मूल्य अर्थात् 238.535 कि.मी. है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) को बीओटी (टोल) के आधार पर 4 लेन में विकसित किए जाने हेतु 29.07.2011 को प्रस्तुत बोली के लिए मैसर्स बीएससीपीएल औरंग टोलवे लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय 6–2–913/914, पांचवां तल, प्रोग्रेसिव टावर, खैराताबाद, हैदराबाद 500 004 मै है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 25.01.2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 121.495 कि.मी. हेतु उक्त खण्ड के 4 और अधिक लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी–1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर, दस करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले बाइपासों, जिनकी कुल लम्बाई 27.990 कि.मी है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से और 0.800 कि.मी. लम्बाई वाले स्थायी पुल, जिसकी अनुमानित लागत 132.15 करोड़ रुपए है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती हैः

सारणी–1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भां.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी–2

	शुल्क की आधार दर (प्रतिवाहन, प्रतियात्रा रुपए में)					
स्थायी पुल, अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रुपए में)	कार, जीप वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	एससीएम, इएमई अथवा एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.5	15	16.50	22	30
पन्द्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6
एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड रुपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

टिप्पणियां:–

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर पर, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
महासमुन्द जिले में छुहीपाली गांव के पास, 123.206 कि.मी. पर (विद्यमान 122.000 कि.मी.)	65.595 (बाइपासों की लम्बाई को छोड़कर)
महासमुन्द जिले में धानक, कासाहिबाहरा गांव के पास, 182.636 कि.मी. पर (विद्यमान 182.000) कि.मी.)	55.900 (बाइपासों और संरचना की लम्बाई को छोड़कर)
कुल	**121.495**

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (सों) के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (सों) की लम्बाई हेतु, ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना की दर से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः।

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	डिजाइन चैनेज		बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	निम्नलिखित पर प्रारम्भ करके	निम्नलिखित पर मिलते हुए		
महासमुन्द जिले में छुहीपाली गांव के पास, 123.206 कि.मी. पर (विद्यमान 122.000 कि.मी.)	112.780	119.030	6.250	सराइपल्ली बाइपास
	135.090	139.300	4.210	बासना बाइपास
	152.970	156.810	3.840	सनकारा बाइपास

महासमुन्द जिले में धानक, कासाहिबाहरा गांव के पास, 182.636 कि.मी. पर (विद्यमान 182.000) कि.मी.)	169.390	172.720	3.330	पिथोरा बाइपास
	214.820	218.090	3.270	थुमगों बाइपास
	226.110	230.110	3.200	बिरकोनी बाइपास (0.800 कि.मी. की लम्बाई वाली संरचना को छोड़कर)
	233.700	237.590	3.890	औरंग बाइपास
		कुल	**27.990**	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/संरचना (संरचनाओं), जिनकी लागत नीचे दी गई है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऊपर सारणी 2 में उल्लिखित आधार दर पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	पुल/संरचना की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई	लागत
महासमुन्द जिले में धानक, कासाहिबाहरा गांव के पास, 182.636 कि.मी. पर (विद्यमान 182.000) कि.मी.)	0.800 कि.मी.	132.15 करोड़ रुपए

4. वर्ष 2015–16 के लिए स्थानीय निजी यातायात के लिए मासिक पास की दर 230.00/– रुपए (दो सौ तीस रुपए मात्र) है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास अथवा अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन, टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 और सारणी 2 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और उसके बाद उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि ऐसा संशोधन शुल्क में पिछले संशोधन की तारीख से 6(छह) मास की अवधि तक ऐसा कोई संषोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/481/12–13/सीएमडी–सीओ/जीसी–छत्तीसगढ़–उड़ीसा सीमा–औरंग खण्ड (बीओटी)]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2016

S.O. 513(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2570 (E), dated 14.11.2011 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 88.000 to kilometer 238.000 (Orrisa/Chhattisgarh Border -Aurang section) of National Highway No. 6 in the State of Chhattisgarh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 25.01.2012 (hereinafter referred to as "said agreement") with M/s BSCPL Aurang Tollway Ltd. having its registered office 6-2-913/914, V Floor, Progressive Towers, Khairatabad, Hyderabad – 500 004 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the bid submitted on 29.07.2011 for the development of Chhattisgarh/Orissa Border–Aurang Section from km. 88.000 to km. 239.000 (having design chainage km 88.000 to chainage 238.335) the end point is same on ground as the start point of succeeding 4-laning project of Raipur-Aurang section although having different chainage value i.e. km 238.535) on National Highway No. 6 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane standards as BOT (Toll) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer basis:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four and more lane of the said section at the rate specified in column (2) of Table 1 below for net road section length of 121.495 km, at one and half times the base rate specified in column (2) of Table 1 below for the use of bypasses, costing Rupees ten crore or more, having total length of 27.990 km and at the base rate specified in Table 2 below for use of permanent bridge of length 0.800 km having an estimated cost of Rs. 132.15 Cr. on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE 2

	Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**Three-axle commercial vehicles[10]**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and upto Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At km 123.206 (Existing km 122.000) near Chhuhipali village in Mahasamund district	65.595 (excluding length of bypasses)
At km 182.636 (Existing km 182.000) near Dhank, Kasahibahra village in Mahasamund district	55.900 (excluding length of bypasses & structure)
Total	**121.495**

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Design Chainages		Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	
	Taking off at	Merging at		
At km 123.206 (Existing km 122.000) near Chhuhipali village in Mahasamund district	112.780	119.030	6.250	Saraipalli Bypass
	135.090	139.300	4.210	Basana Bypass
	152.970	156.810	3.840	Sankara Bypass
At km 182.636 (Existing km 182.000) near Dhank, Kasahibahra village in Mahasamund district	169.390	172.720	3.330	Pithora Bypass
	214.820	218.090	3.270	Tumgaon Bypass
	226.110	230.110	3.200	Birkoni Bypass (excluding structure having length of 0.800 km)
	233.700	237.590	3.890	Aurang Bypass
		Total	**27.990**	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s) the cost of which is specified hereunder, at the base rate mentioned in Table 2 above, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km) and Cost of bridge /structure (Rs. in crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
At km 182.636 (Existing km 182.000) near Dhank, Kasahibahra village in Mahasamund district	0.800 km	Rs 132.15 crore

4. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred and Thirty Only) for the year 2015-16 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 & Table 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the Rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/481/12-13/CMD-CO/GC-Chhattisgarh-Orissa Border–Aurang Section BOT]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.